

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 91/2022

अनवान : -

1. अमिताभ पुत्र प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र रामकिशन जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुभाष पुत्र प्यारेलाल प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
3. रोशनी पुत्री प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
4. कविता पुत्री प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री विजेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं० 56/122 के मु०न० 28 के किला न० 11 ता 20 मु०न० 29 के किला न० 1 ता 3, 9, 10 की कुल 3.7950है० खातेदारी में 2.7830है० नहरी व 1.0120है० बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार 1 सीएचएन के खाता सं० 54/118 के मु०न० 10 के किला न० 11, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 मु०न० 11 के किला न० 11 ता 14, 16 ता 25 मु०न० 12 के किला न० 15, 16, 25 मु०न० 34 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 मु०न० 35 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3 की कुल 6.6040है० जिसमें 6.3410है० नहरी 0.0880है० गै०मु० रास्ता 0.175है० गै०मु० खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल के नाम 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल की बजाए वादी अमिताभ, प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल, प्रतिवादी सं० 2 सुभाष प्रतिवादी सं० 3 रोशनी व प्रतिवादी सं० 4 कविता बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा

से जारी की गई।



(शकुंतला चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.



मि०न० - 91/2022

अनवान : -

1. अमिताभ पुत्र प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र रामकिशन जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुभाष पुत्र प्यारेलाल प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
3. रोशनी पुत्री प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
4. कविता पुत्री प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री सुनील बैनीवाल वादी
श्री विजेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 15/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं० 56/122 के मु०न० 28 के किला न० 11 ता 20 मु०न० 29 के किला न० 1 ता 3, 9, 10 की कुल 3.7950 है० खातेदारी में 2.7830 है० नहरी व 1.0120 है० बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार 1 सीएचएन के खाता सं० 54/118 के मु०न० 10 के किला न० 11, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 मु०न० 11 के किला न० 11 ता 14, 16 ता 25 मु०न० 12 के किला न० 15, 16, 25 मु०न० 34 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 मु०न० 35 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3 की कुल 6.6040 है० जिसमें 6.3410 है० नहरी 0.0880 है० गै०मु० रास्ता 0.175 है० गै०मु० खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल के नाम 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा रामकिशन की खातेदारी हुआ करती थी। रामकिशन के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी प्यारेलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी प्यारेलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि तन्हा प्रतिवादी जगतपाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं० 2 ता 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं० 5 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अमिताभ पुत्र प्यारेलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी त० भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी 3 सीएचएन चालू प्रदर्श 1 जमाबंदी चालू चक 1 सीएचएन प्रदर्श 2, बिल बिजली प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 जमाबंदी दादालाई चक 3 व 1 सीएचएन प्रदर्श 5 ता 6 है। करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं० 56/122 के मु०न० 28 के किला न० 11 ता 20 मु०न० 29 के किला न० 1 ता 3, 9, 10 की कुल 3.7950है० खातेदारी में 2.7830है० नहरी व 1.0120है० बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार 1 सीएचएन के खाता सं० 54/118 के मु०न० 10 के किला न० 11, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 मु०न० 11 के किला न० 11 ता 14, 16 ता 25 मु०न० 12 के किला न० 15, 16, 25 मु०न० 34 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 मु०न० 35 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3 की कुल 6.6040है० जिसमें 6.3410है० नहरी 0.0880है० गै०मु० रास्ता 0.175है० गै०मु० खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल के नाम 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है

 कि रोही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं० 56/122 के मु०न० 28 के किला न० 11 ता 20 मु०न० 29 के किला न० 1 ता 3, 9, 10 की कुल 3.7950है० खातेदारी में 2.7830है० नहरी व 1.0120है० बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार 1 सीएचएन के खाता सं० 54/118 के मु०न० 10 के किला न० 11, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 मु०न० 11 के किला न० 11 ता 14, 16 ता 25 मु०न० 12 के किला न० 15, 16, 25 मु०न० 34 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 मु०न० 35 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3 की कुल 6.6040है० जिसमें 6.3410है० नहरी 0.0880है० गै०मु० रास्ता 0.175है० गै०मु० खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल के नाम 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल की बजाए वादी अमिताभ, प्रतिवादी सं० 1 प्यारेलाल, प्रतिवादी सं० 2 सुभाष प्रतिवादी सं० 3 रोशनी

व प्रतिवादी सं० 4 कविता बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...15/6/22... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय




(शंकुतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़